

# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक अप्रैल 9, 1988

की

कार्य-सूची



## लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक  
अप्रैल 9, 1988 में विचारणीय विषयों की  
कार्य-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 3 फरवरी, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2	प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 3 फरवरी, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	8
3	लखानऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक 1988-89	14
4	गोमती नगर योजना में पत्रकारों के लिये निर्माणाधीन भावनों के सम्बन्ध में सेन्टेज चार्जेज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।	15
5	गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा भेमोरियल के डिज़ाइन हेतु वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में ।	18
6	आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स के सम्बन्ध में	22
7	प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर बहुखण्डीय भावन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में ।	31
8	किराये भावनों की विक्री के सम्बन्ध में सूचना ।	32
9	स्टील अघाट्टी को दी गई भूमि के सम्बन्ध में पट्टे के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	33
10	विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण उपविधायों में संशोधन के सम्बन्ध में ।	35
11	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	37
12	चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुखण्डीय भावनों के सम्बन्ध में ।	39
13	अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।	

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के  
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 का कार्यवृत्त  
पुष्टि हेतु संलग्न है ।

क्रमशः—

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक

3 फरवरी, 1988 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- 1 श्री बृजेश कुमार, अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखानऊ मण्डल ।
- 2 श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, नगर विकास विभाग ।
- 3 श्री नरेश दयाल, जिलाधिकारी, लखानऊ ।
- 4 श्री शैलेश कृष्ण, उपाध्यक्ष, ल०वि०प्र०/ प्रशासक, नगर महापालिका ।
- 5 श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव उप सचिव, वित्त विभाग ।
- 6 श्री जे०पी०भार्गव मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
- 7 श्री आर०रस०निगम मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम ।
- 8 डा०वी०रन०छान्ना सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
- 9 श्री राम नगीना सिंह सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थात:

- 1 श्री दिवाकर त्रिपाठी, सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 19 अक्टूबर, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित संशोधनों के साध्या प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 19-10-87 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई :-

1. प्रस्ताव संख्या: 9 व 10 में गठित उपसमिति द्वारा ही विषय संख्या: 7 व 8 में भी स्थल निरीक्षण करके संस्तुति, बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी ।
2. विषय संख्या: 14 के सम्बन्धा में श्री राम नगीना सिंह, सदस्य, विकास प्राधिकरण को सूचित किया जाये कि मूल भू-स्वामी की भूमि योजना में है कि नहीं ?

कृपया: —————

- विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-9-87 एवं 19-10-87 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
- निर्णय : अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि जिनमें अनुपालन पूर्ण नहीं हुआ है उनकी आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये । साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि महत्वपूर्ण विषयों/ निर्णयों का एक रजिस्टर बना लिया जाये और निर्णय उसपर नोट किये जायें । जबतक निर्णय का अनुपालन पूर्ण न हो जाये तब तक क्रमिक अनुपालन आख्या प्रत्येक बोर्ड की बैठक में रखी जाये ।
- विषय संख्या: 3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अभियन्त्रण कार्य एवं सम्पत्ति निस्तारण से सम्बन्धित प्रगति आख्या ।
- निर्णय : प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।
- विषय संख्या: 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण में पी०ए०/निजी सचिव के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त वैयक्तिक सहायक / निजी सचिव के छः पद वेतनमान रु० 530-940 में सृजित किये जाने की संस्तुति शासन को भोजी जाये तथा 6 आशुलिपिक के पद आस्थागित § Abeyance § में रहेंगे तथा आगामी बैठक में प्रस्ताव लाया जाये कि इन्हे कहां डिप्लाय किये जाने की आवश्यकता है । औचित्य भी उल्लेख किया जाये ।
- विषय संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक सम्पत्ति अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त सहायक सम्पत्ति अधिकारी का एक पद वेतनमान 485-860 में मात्र एक वर्क के लिये स्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिया गया कि क्वान्टम आफ वर्क के साथ प्रस्ताव रखा जाये जिसमें यह भी विवरण दिया जाये कि सेल आफ प्रापर्टी की वजह से कौन से कार्य बढ़े हैं जिनके लिये इस पद की आवश्यकता है ।
- विषय संख्या: 6 विकास प्राधिकरण में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थागित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में कार्यवृद्धि तथा प्रगति सम्बन्धी विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 7

प्राधिकरण हेतु एक विधि परामर्शी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि सिविल जज की श्रेणी के एक विधि परामर्शी की सेवाएँ माननीय उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर ली जाये ।

विषय संख्या: 8

प्राधिकरण के अधिकारियों को मोटर कार क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकोनामिक वायोबिल्टी के साथ प्रस्ताव शासन को विचारार्थ भोज दिया जाये ।

विषय संख्या: 9

प्राधिकरण हेतु एक बुलडोज़र माडल डी-80 ए-12 क्रय के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नांकित विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये :-

1. प्राधिकरण में इस समय कितने बुलडोज़र हैं ?
2. इस समय वर्कलोड कितना है ?
3. ठेकेदार से कार्य कराने में कान्ट्रेक्टुअल ऋ की दरें कितनी आती हैं ?
4. बुलडोज़र से कार्य कराने में क्या दर आती है ?
5. वर्तमान बुलडोज़रों से प्रतिदिन कितने घण्टे कार्य लिया गया है ? स्टैन्डर्ड वर्क नार्म क्या है ?
6. एक वर्ष में एक बुलडोज़र से कितना कार्य लिया जाता है ?
7. केवल स्पेसिफ़िक माडल क्रय करने का प्रस्ताव न रखा जाये ।

यदि प्राधिकरण क्रय अनुमोदन करते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर क्रय कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 10

सुदृढ़ीकरण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

1. सुदृढ़ीकरण विकास शुल्क लिये जाने की आवश्यकता स्वीकार की गई । इसको किस तिथि से प्राप्त किया जावे, इसका परीक्षण कर शीघ्रतापूर्वक प्राधिकरण के समक्ष रखा जावे ।

2. इस सम्बन्ध में जारी शासनदेश की विधिक विवेकतियों को स्पष्ट करते हुए शासन से स्थािति स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाये ।
3. पक्षों को कठिनाई न हो, अतएव उनके द्वारा यह अन्डरटेकिंग देने पर कि दो माह बाद सुदृढीकरण शुल्क वे देंगे, भावन चित्र रिलीज़ कर दिये जायें ।
- विज्ञाप संख्या: 11 प्राधिकरण के भावनों/दुकानों आदि के विक्रय के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विज्ञाप वापस लिया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 12 गोमती नगर विराम छाण्ड में 133 एल0आई0जी0 भावनों हेतु हडको से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 13 नीबू बाग़ व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गये ब्लाक के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक उपसमिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-
1. श्री राम नगीना सिंह, सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
  2. उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
  3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
  4. मुख्य नगर नियोजक, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
- यह उप समिति स्थल निरीक्षण करके अपनी आख्या देगी जो आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 14 केन्द्रीय विद्यालय गोमती नगर से लीज़रेन्ट न लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 15 अमर शाहीद वीरगिना रानी अवन्ती बाई लोधी संस्थान को भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि नियमानुसार छूट केवल विद्यालयों के मामले में दी जा सकती है । उक्त संस्था यदि चाहे तो उसे को भूमि आवासीय दर पर दे दी जाये ।

- विज्ञाप संख्या: 16 लखानऊ विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखो 1984-85 का प्रस्तुतिकरण ।  
निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 17 जियामऊ आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्धा में ।  
निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त सहित अनुमोदित किया गया कि इस क्षेत्र में, एक कानफ्रेन्स हाल १ 500 सीट क्षमता का १ व सेक्रेटरियल सुविधा का प्राविधान और कर दिया जाये । दो तीन कमरों के भावन के अतिरिक्त अन्य पूरी भूमि को ग्रीन-बेल्ट के सम में विकसित किया जावे ।
- विज्ञाप संख्या: 18 सीतापुर रोड १ पश्चिम १ योजना भाग-4 हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्धा में ।  
निर्णय : निर्णय लिया गया कि सीतापुर रोड और उसके पश्चिम में सपपुर छादरा से पुरनिया तक जाने वाली आन्तरिक सड़क के बीच का क्षेत्र, जो सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र का 50 प्रतिशत लगभग है, अर्जित कर लिया जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 19 अपर इन्डिया पेपर कूपर मिल को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि आवन्टन के सम्बन्धा में ।  
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि पक्षा से इस दिशा में निगोसियेशन करें कि आधी जमीन वे लखानऊ विकास प्राधिकरण को दे दें तथा आधी जमीन पर विकास एवं निर्माण कार्य स्वयं कर लिये । तदनुसार प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 20 मेसर्स मोटर सेल्स, 11- महात्मागांधी मार्ग के भावन चित्रों की स्वीकृति के सम्बन्धा में ।  
निर्णय : विचारोपरान्त यह महसूस किया गया कि प्रस्ताव अपरिपक्व है । प्राधिकरण ने गत बैठक में इस प्रकार के भावनों के सम्बन्धा में गाइड लाइन्स पारित की थीं । भावन चित्रों का परीक्षा उन गाइड लाइन्स के अनुसार किया जावे, यदि फिरभी छूट की आवश्यकता हो, तो आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाये कि किस किस बिन्दु पर छूट की आवश्यकता है, तथा छूट देने का क्या औचित्य है ।

विज्ञाप संख्या: 21

पायनिगर पुस्त, विधान सभा मार्ग का  
भा-उपयोग कारखाना एवं अन्य प्रयुक्तों के  
सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत आख्या पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श  
के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. पक्षा से सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण  
हेतु जो धान कसूला जा रहा है वह बढ़े हुए  
एफ०ए०आर० के आधार पर लिया जाये ।
2. पक्षा से मलवा संचय प्रयुक्त एक मुश्त जमा कराया  
जाये तथा प्रीक्षा रु० 25,72,825/- पर 16  
प्रतिशत ब्याज लगाते हुए 10 त्रैमासिक किश्तों  
में धान जमा कराने हेतु अन्डरटेकिंग लेकर स्वीकृति  
प्रदान कर दी जाये ।

विज्ञाप संख्या: 22

निराला नगर, महानगर एवं अन्य विकसित  
कालोनियों में 1000 वर्गमीटर के बड़े भूखण्डों  
पर ग्रुप-हाउसिंग के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुतित गुा हाउसिंग व्दारा सुविधाओं पर  
पड़ने वाले दबाव पर विचार किया गया ।  
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस  
सम्बन्ध में एक कम्पोजिट योजना बनाकर प्रस्ताव  
आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

विज्ञाप संख्या: 23

भूखण्ड संख्या: सी-19 "एच" पार्क, महानगर  
विस्तार योजना पर भावनचित्र की स्वीकृति के  
सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि  
केवल पुरानी योजनाओं के आवन्तियों से लीज के  
10 वर्ष पूरे होने के उपरान्त 31.12.88 तक  
एक प्रतिशत की दर से लेवी ली जाये ।

विज्ञाप संख्या: 24

आर० टी० ओ० काम्पलेक्ट के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 25

लखानऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो  
सामाजिक कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की  
स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

- विज्ञाप संख्या: 26 लखानऊ विकास प्राधिकरण में सिस्टम इक्विपमेंट के पद पर किये गये चयन के सम्बन्ध में सूचना ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 27 प्राइवेट विल्डर्स को भूमि आवन्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 28 विभिन्न योजनाओं में हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु हडको के पक्ष में कापोरेशन बैंक/आन्ध्र बैंक से बैंक गारन्टी लेने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 29 शोखापुर कौला स्थित श्रीमती रानी देवी व अन्य की भूमि के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 30 सीतापुर रोड के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में 192 ई0डब्लू0एस0 भावनों का निर्माण ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 31 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" में 180 एस0आई0जी0 एक गजिले भावनों का निर्माण ।
- निर्णय : प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।
- विशोधा प्रस्ताव : डा0 वी0एस0खान्ना, सदस्य द्वारा प्राधिकरण के कर्मचारियों के मेरीटोरियस बच्चों को छात्रवृत्ति {स्कालरशिप} दिये जाने का प्रस्ताव ।
- निर्णय : विचारोपरान्त सिधदान्त सभ से प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि स्कीम बनाकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

ह0/-  
शौलेशा कुण्डा  
§ शौलेशा कुण्डा §  
उपाध्यक्ष  
लखानऊ विकास प्राधिकरण  
लखानऊ ।

ह0/-  
दिवाकर त्रिपाठी  
§ दिवाकर त्रिपाठी §  
सचिव  
लखानऊ विकास प्राधिकरण  
लखानऊ ।

अ नु मो दि त

ह0/- वृजेष्ठा कुमार  
§ वृजेष्ठा कुमार §  
अध्यक्ष  
लखानऊ विकास प्राधिकरण एवं  
आयुक्त  
लखानऊ मण्डल, लखानऊ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
3 फरवरी, 1988 की अनुपालन आख्या  
=====

विज्ञाप संख्या	एवं	विज्ञाप	लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
I			2	3
4		पीओए/निजी सचिव के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	शासन को संस्तुति भोजने का निर्णय लिया गया ।	शासन को पत्र संख्या: 1391/साओ/80 दिनांक 22-3-88 भोजा गया ।
5		सहायक सम्पत्ति अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	एक वर्क के लिये पद की स्वीकृति दी गई एवं क्वान्टम आफ् वर्क प्रस्तुत करने के निर्देशा दिये गये ।	तैयार किया जा रहा है । आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
6		सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थागित किया गया एवं कार्यवृद्धि तथा प्रगति सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने के निर्देशा दिये गये ।	निर्देशानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ।
7		विधि परामर्शी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	सिविल जज की श्रेणी के एक विधि परामर्शी की सेवाये माननीय उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर ली जाये ।	शासन को पत्र भोज दिया गया ।

क्रमशः—

1		2	3
8	मोटर कार क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में ।	इकोनामिक वायोबिल्टी के साथ प्रस्ताव शासन को भोज दिया जाये ।	शासन को प्रस्ताव भोज दिया गया ।
9	बुलडोजर मॉडल डी-80 ए-12 क्रय के सम्बन्ध में ।	वर्कलोड, तुलनात्मक आंकड़े, प्रतिदिन कार्य, स्टैंडर्ड वर्क नार्म आदि आदि प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।	विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है ।
10	सुदृढीकरण शुल्क के सम्बन्ध में ।	शुल्क लिये जाने की आवश्यकता स्वीकार की गई । किस तिथि से लिया जाये इसका परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । शासन से स्थाति ज्ञात करने का अनुरोध किया जाये । पक्षों द्वारा अन्डरटेकिंग देने पर भावनचित्र रिलीज़ कर दिये जायें ।	निर्णयानुसार शासन को पत्र भोज दिया गया है तथा अन्डरटेकिंग लेकर भावन चित्र रिलीज़ किये जा रहे हैं ।
11	प्राधिकरण के भावनो/दुकानों आदि के बिक्रय के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस ले लिया गया ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।
12	गोमती नगर विराम छाण्ड में 133 एल0आई0जी0 भावनो हेतु हडको से ऋण लिये जाने हेतु ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । योजना हडको को प्रेषित कर दी गई है ।

1	2	3	
13	नीबूबाग, व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गये ब्लाक के सम्बन्ध में ।	स्थल निरीक्षण हेतु एक उप समिति गठित की गई ।	उप समिति के निरीक्षण हेतु 17-3-88 की तिथि निर्धारित की गई थी परन्तु श्री राम नगीना सिंह, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण निरीक्षण नहीं हो सका ।
14	केन्द्रीय विद्यालय गणेशमती नगर से लीज़ रेंट न लिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	निर्णय नोट किया गया । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
15	अमर शाहीद वीरांगना रानी अवंती बाई, लोधी संस्थान को भूमि आवंटन ।	आवासीय दर पर भूमि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	पत्र संख्या: 1168/सचिव, वि०प्र०, दिनांक 5-3-88 द्वारा शासन को सूचित कर दिया गया ।
16	वार्षिक लेखो 1984-85 का प्रस्तुतकरण ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	वार्षिक लेखो ए०जी०आडिट पार्टी के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।
17	जियामऊ आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।	कुछ प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	9.37 एकड़ भूमि पहले ही सीलिंग से प्राप्त हो चुकी है। अतः 58.95 एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव शीघ्र ही जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा रहा है ।
18	सीतापुर रोड पश्चिम योजना भाग-4 हेतु भूमि अर्जन ।	प्रस्ताव संशोधन सहित पारित किया गया ।	सीलिंग विभाग द्वारा वर्तमान में घोषित अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है, तदनुसार संशोधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।

1	2	3	
19	अपर इन्डिया पेपर कुपर मिल को भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में ।	पक्षा से आधी ज़मीन प्राधिकरण को दिये जाने के सम्बन्ध में निगोशियेशन किया जाये ।	पक्षा का पत्र दिनांक 17-3-88 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया है । पक्षा चाहते हैं कि उनको पूरी भूमि पर विकास एवं निर्माण हेतु नकशा पास किया जाये । अधिग्रहीत न की जाये ।
20	मेसर्स मोटर सेल्स, 11- महात्मागांधी मार्ग के भावन चित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	किस-किस बिन्दु पर छूट की आवश्यकता है तथा इसका क्या औचित्य है ।	गाइड लाइन्स के अनुसार परीक्षाएं किया जा रहा है ।
21	पायनिगर प्लेन, विधान सभा मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन एवं अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में ।	सुदृढीकरण की धारणा बड़े हुए एफ0ए0आर0 के आधार पर ली जाये । मलवा संचय शुल्क 10 त्रैमासिक किश्तों में 16% ब्याज के साथ लिया जाये ।	पक्षा को निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।
22	निरालानगर महानगर एवं अन्य विकसित कालोनियों में 1000 वर्गमीटर के बड़े भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में ।	कम्पोजिट योजना बनाकर पुनः प्रस्तुत की जाये ।	निर्देशानुसार कम्पोजिट योजना तैयार की जा रही है ।

1	2	3	
23	भूखण्ड संख्या: सी-19 "एच" पार्क, महानगर विस्तार योजना पर भावनचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	केवल पुरानी योजनाओं के आवन्तियों से लीज़ के 10 वर्ष पूरे होने के उपरान्त 31.12.88 तक एक प्रतिशत की दर से लेवी ली जाये ।	निर्देशित नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
24	आरओटीओकाम्पलेक्स के सम्बन्ध में ।	आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।	प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ।
25	सामाजिक कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि के सम्बन्ध में ।	वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	बढ़ी हुई दर से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।
26	सिस्टम इक्विपमेंट के चयन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।
27	प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
28	हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक गारन्टी के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	बैंकों से गारन्टी प्राप्त की जा रही है ।
29	शोखापुर कौला स्थाति श्रीमती रानी देवी व अन्य की भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	अग्रेतर कार्यवाही निर्णयानुसार सुनिश्चित की जा रही है ।

क्रमशः—

1	2	3
<p>30 सीतापुर रोड सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायतअली में 192 ई0डब्लू0एत0 भावनों का निर्माण ।</p>	<p>प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।</p>	<p>चैक आफ़ वड़ौदा को अभिलेखा उपलब्ध करा दिये गये हैं । शासन से स्वीकृति एवं गारन्टी प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । भावनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।</p>
<p>31 सीतापुर रोड योजना सेक्टर जी में 180 सम0आई0जी0 एक मजिले भावनों का निर्माण ।</p>	<p>प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।</p>	<p>ऋण प्राप्ति हेतु हडको को आदेशन पत्र प्रेषित किया जा चुका है । अभी हडको से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है परन्तु बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।</p>
<p>32 प्राध्यापिका कर्मचारियों के मेरिटोरियस बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।</p>	<p>प्रस्ताव सिधदान्त रूप में स्वीकार किया गया । स्कीम बनाकर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।</p>	<p>निर्देशानुसार स्कीम तैयार की जा रही है ।</p>

विज्ञाप संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 14

विज्ञाप : लखानऊ विकास प्राधिकरण का  
मूल वजट 1988-89 ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण  
का मूल आय व्ययक 1988-89 अलग से  
प्रस्तुत किया गया है ।

विज्ञाप: गोमती नगर योजना में पत्रकारों के लिये  
निर्माणाधीन भावनों के सम्बन्ध में  
लाभांश न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

पत्रकारों को एक विशिष्ट वर्ग मान कर उनके लिये अच्छे तथा  
यथासामर्थ्य आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन  
द्वारा "पत्रकारपुरम" की एक योजना बनाई गई । इस योजना के कार्या-  
न्वयन के लिये शासनादेश संख्या: यू0ओ0 72/11-5-1984 दिनांक  
अप्रैल 28, 1984 के द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को गोमती नगर  
योजना में भावन निर्मित करने के आदेश प्राप्त हुये ।

इस योजना में निर्मित होने वाले भावन दो प्रकार के हैं:  
श्रेणी "वी" व श्रेणी "सी" । श्रेणी "वी" व श्रेणी "सी" का मूल्य  
क्रमशः रु0 97,600.00 व रु0 69,200.00 प्रति भावन है ।

पत्रकारों को इसमें निर्मित होने वाले भावन कम मूल्य पर  
उपलब्ध कराने के लिये उक्त शासनादेश द्वारा 40 प्रतिशत की  
सब्सिडी लखनऊ विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत के विपरीत  
उपलब्ध कराई गई ।

उपरोक्त योजना में निर्मित भावनों का आवन्टन किस्तों पर  
करने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हडकों से रु066.73 लाख  
ऋण प्राप्त किया तथा शासनादेश संख्या: 3575 व 37-1-87-16  
सीड कैपिटल, दिनांक 10-11-87 द्वारा प्राप्त सीड कैपिटल की धान-  
राशि रु0 20.00 लाख का उपयोग करके इन भावनों के मूल्य की किस्तों  
को और अधिक आसान बनाया गया ।

विशिष्ट श्रेणी के इन पत्रकारों को भूमि की लागत में  
40 प्रतिशत की सब्सिडी के अतिरिक्त इनकी लागत में 10 प्रतिशत के  
लाभांश के वजाये केवल 5 प्रतिशत का लाभांश ही लगाया गया  
जिसके फलस्वरूप किस्ते और भी कम हुई ।

वर्तमान समय में "वी" श्रेणी के भावनों के लिये लगभग  
रु0 10,000.00 की धानराशि और "सी" श्रेणी के भावनों के लिये  
लगभग रु0 5,200.00 की धानराशि आवन्टियों को रेगुलेशन से पहले  
जमा करनी होगी और इसके पश्चात् "वी" श्रेणी के भावनों के लिये  
प्रथम 5 वर्षों के लिये रु0 2603.40 पै0 व उसके पश्चात् 10 वर्षों तक  
रु0 2859.00 प्रति त्रैमासिक तथा "सी" श्रेणी के आवासों के लिये  
प्रथम 5 वर्षों तक रु0 1953.95 पै0 व उसके पश्चात् आगामी 10 वर्षों  
के लिये रु0 2128.00 त्रैमासिक किस्त में देना होगा ।

पत्रकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि इन  
भावनों के मूल्य में सम्मिलित सेन्टेज चार्जेंज माफ़ कर दिये जायें । इस  
सम्बन्ध में शासन से यह अनुरोध किया गया था कि उक्त छूट  
स्वीकृत किये जाने की दशा में प्रदान की गई छूट के बराबर धानराशि  
अनुदान स्वयं उपलब्ध कराई जायें । इस सम्बन्ध में शासकीय  
पत्र संख्या: 5829/11-5-87-200१/१४/84, दिनांक 11-1-88 द्वारा  
यह निर्देश प्राप्त हुए कि "प्रश्नगत चार्जेंज हेतु नगर विकास विभाग  
द्वारा १ आर्थिक तहायता प्रदान करना सम्भव नहीं है । यदि

सूचना विभाग अपने स्तर से वित्तीय सहायता प्रदान करे तो उससे इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है " सुलभा सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार "खा" पर उपलब्ध है ।

चूँकि शासन द्वारा पत्रकारों को एक विशिष्ट श्रेणी में मानते हुए सुविधाएँ प्रदान की गई हैं अतः यह संस्तुति की जाती है कि इन भावनों पर लगाया गया 5 प्रतिशत के लाभभांश को पत्रकारों से न लिया जाये तथा पूर्व जमा की गई धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि 20 वर्षों में वसूल की जाये । यदि उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो "जी" तथा "सी" प्रकार के भावनों के विक्रय मूल्य तथा 20 वर्षों की किस्तें निम्नवत् होंगी :-

"जी" श्रेणी भावन :

1:	विक्रय मूल्य	₹ 93 850.00
2:	किस्तों में वसूल की जाने वाली धनराशि	₹ 75 850.00
3:	त्रैमासिक किस्तें प्रथम 5 वर्षों	₹ 2 700.40
4:	त्रैमासिक किस्तें अगले 15 वर्षों	₹ 2 812.04

"सी" श्रेणी भावन :

1:	विक्रय मूल्य	₹ 66 300.00
2:	किस्तों में वसूल की जाने वाली धनराशि	₹ 54 300.00
3:	त्रैमासिक किस्तें प्रथम 5 वर्षों	₹ 1 934.78
4:	त्रैमासिक किस्तें अगले 15 वर्षों	₹ 2 010.93

अतः विधाय प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास  
अनुभाग-5 के पत्र संख्या: 5829/11-5-87-200  
§114§/84, दिनांक 11 जनवरी, 1988 की प्रतिलिपि  
=====

पत्रकार पुरम के सदस्यों को सेन्टेज चार्ज से मुक्त किये जाने से सम्बन्धित सचिव, नगर विकास विभाग को सम्बोधित आपके अर्द्धशासकीय पत्रांक 2176/ए-एस दिनांक 16-10-87 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत चार्ज हेतु शासन द्वारा § नगर विकास विभाग द्वारा § आर्थिक सहायता प्रदान करना सम्भव नहीं है। यदि सूचना विभाग अपने स्तर से वित्तीय सहायता प्रदान करे तो उससे इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/- श्रीकर अग्रवाल

विषय: गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इंदिरा मेमोरियल के डिजाइन हेतु वास्तुविद् का चयन।

= = = = =

प्रस्ताव:-

इंदिरा गाँधी मेमोरियल हेतु गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में स्थल चयनित किया गया था। योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के डिजाइन बनाने के लिए एक प्रतियोगिता की गई थी। डिजाइन के चयन हेतु शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसमें निम्न सदस्य थे।

1. सचिव, आवास एवं नगर विकास उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4. मुख्य वास्तुविद्, सी०पी०डब्लू०डी०, नई दिल्ली।
5. श्री एम०एस०राना, मुख्य वास्तुविद् {अवकाश प्राप्त} सी०पी०डब्लू०डी० नई दिल्ली।

समिति ने अपनी बैठक दिनांक: 9-7-1986 को इस संस्थान के डिजाइन हेतु चयन किया था। पाँचों वास्तुविद्दों में से चयन समिति ने किसी भी वास्तुविद् को प्रथम स्थान नहीं दिया बल्कि दो वास्तुविद्दों में से ए०जेन एवं राका चक्रवर्ती तथा मे० कोठारी एसोसियेट को द्वितीय स्थान दिया गया।

योजना की प्रतियोगिता दुबारा कराने में समय लगेगा। अतः उचित होगा कि जो दो वास्तुविद् द्वितीय स्थान पर है उनमें से शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा एक वास्तुविद् को चुन लिया जाय और उन्हीं को कार्य दे दिया जाय, इस आशय का एक पत्र संख्या: 833/सी०टी०पी०/एन०डी०ए० दिनांक: 29.8.87 शासन को भेजा गया था। इस सम्बंध में शासन से कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

शासन के पत्र संख्या: 4323/11-5-87-200/127/87 दिनांक: 14अगस्त, 1987 के प्रस्तर-4 में उल्लेख है कि योजना के लिए ख्याति प्राप्त वास्तुविद् का चयन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। अतः निम्न प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत है :-

1. पूर्व में चयनित वास्तुविद्दों में से जो दो वास्तुविद् द्वितीय स्थान पर है उनको कार्य दिया जाय या नहीं ? यदि कार्य दिया जाता है तो दोनों वास्तुविद्दों में से एक वास्तुविद् के चयन हेतु एक निम्न लिखित समिति के गठन

क्रमशः....

की स्वीकृति आर्षेक्षित हैं।

- |  |          |
|--|----------|
| 1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ.             | अध्यक्ष. |
| 2. संयुक्ता सचिव, नगर विकास उ०प्र०शासन, लखनऊ.    | सदस्य    |
| 3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०शासन, लखनऊ. | "        |
| 4. मुख्य वास्तुविद्, सा०नि०विभाग, लखनऊ.          | "        |
| 5. मुख्य वास्तुविद्, रा०नि०निगम, लखनऊ.           | "        |
| 6. प्रमुख अभियंता, सा०नि०विभाग, लखनऊ.            | "        |
| 7. मुख्य नगर नियोजक, वि०प्र० लखनऊ.               | संयोजक   |

या

2. डिजाइन तैयार कराने हेतु वास्तुविद् का चयन की प्रक्रिया फिर से की जाय और डिजाइन हेतु नवीन डिजाइन प्रतियोगिता कराई जाय।

या

3. ख्याति प्राप्त किसी वास्तुविद् को डिजाइन का कार्य सीधे दे दिया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रस्तावित हैं।

प्रेषक:-

शंकर अग्रवाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ.

सेवा में,

श्री शैलेश कृष्ण,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: अगस्त 14, 1987

महोदय,

इंदिरा गाँधी संस्थान हेतु भूमि चयन के सम्बंध में दिनांक: 25-7-87 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जो स्तर पर चर्चा हुई और उन्होंने गोमती नगर प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

3- योजना का कार्यान्वयन लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा और वे ही यह निर्णय लेगे कि इस योजना का कार्यान्वयन वह राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से करायेँ या किसी अन्य एजेंसी से परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह ध्यान रखा जायेगा कि निर्माण एजेंसी का चयन करते समय निर्माण निगम को भी अपनी दरें बताने का अवसर दिया जायेगा और यदि राजकीय निर्माण निगम की दरें "कम्पेरेबुल" ही तो उन्हें ही वरीयता दी जायेगी।

4- योजना के लिए ख्याति प्राप्त वास्तुविद् का चयन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।

5- चूंकि योजना में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। अतः विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त योजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो जाय।

6- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण भूमि पूजन के लिए राज्य मंत्री जी से अनुरोध कर लें और हो सके तो 15 अगस्त 1987 को ही पूजन करवा लें। औपचारिक रूप से शिलान्यास योजना का प्रारूप बनने के बाद किया जायेगा।

क्रमशः.....

7- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि योजना का त्रैमासिक मानीटरिंग सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्पादित कराया करेंगे।

उक्त के सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करने की कृपा करें।

भवदीय,

ह0/-

॥ शंकर अग्रवाल ॥  
संयुक्त सचिव

संख्या:

तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव महोदय के विशेष सहायक ॥श्री ग्रीश चन्द्र चतुर्वेदी ॥ को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित हैं।

ह0/-

॥ शंकर अग्रवाल ॥  
संयुक्त सचिव

विषय: आर०टी०ओ० काम्पलेक्स से सम्बन्धित,

आख्या:

योजना की स्थिति तथा क्षेत्रफल

गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित श्री राम अनाथालय के प्रांगण में जिसमें पूर्व में आर०टी०ओ० कार्यालय स्थित था, में उपरोक्त योजना का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 14369व०मी० है। गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित होने के कारण बंधक लाटूश रोड व अमीनाबाद के अत्यन्त निकट होने के कारण इस भूमि का व्यवसायिक महत्व अत्याधिक है। इसलिये इस पर व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है।

योजना की अभिकल्पना

वर्तमान समय में अमीनाबाद एवं श्रीराम रोड पर बड़े बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। समय के साथ साथ में विस्तार हेतु भूमि की उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई है। विस्तार की कमी की वजह से इस क्षेत्र में भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे जन समुदाय को न केवल यातायात में दिक्कत होती है, वरन भीड़ भाड़ के कारण खरीददारी में भी परेशानी उठानी पड़ती है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अमीनाबाद व श्रीराम रोड के निकट गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित नजूल भूमि जिस पर पूर्व में आर० टी० ओ० ऑफिस व श्रीराम अनाथालय दोनों भवनों से श्रीराम अनाथालय को अलीगंज योजना में लगभग रु०20.00 लाख की लागत का भवन विकास प्राधिकरण द्वारा अपने ही श्रोतो से निर्माण कराकर वहाँ बसाया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये भी श्रीराम अनाथालय को दिये जाते हैं।

इसी प्रकार आर०टी०ओ० ऑफिस को अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स में फिराये पर कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया गया है।

उक्त दोनों भवनों को लाटूश रोड से हटाने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्थल पर बहुमंजिले व्यवसायिक एवं ऑफिस काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित किया गया है ताकि अमीनाबाद श्रीराम रोड पर भीड़ भाड़ कम हो सके और इस क्षेत्र की दुकाने कम्पनी ऑफिस एजेंसी आदि एक सुनियोजित काम्पलेक्स में अपना व्यवसाय कर सके।

इस काम्पलेक्स के अन्तर्गत पाँच मंजिले व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण बेसमेण्ट सहित प्रस्तावित है। काम्पलेक्स में दुकाने शो केश डिपार्टमेन्टर स्टोर, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय भवन आदि प्रस्तावित है। इस काम्पलेक्स हेतु पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है। सम्पूर्ण योजना को आर्कीटेक्चरल डिजाइन लैन्ड स्केप सोन्ट्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना को सभी भवन चित्र प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार किये जा रहे हैं तथा प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा इसका निर्माण कराया जायेगा।

व्यवसायिक केन्द्र में आधुनिक फायर फाईटिंग व्यवस्था, वाटर सप्लाई सिस्टम, विद्युतीकरण, लिफ्ट्स आदि का प्राविधान किया गया है। यह व्यवसायिक केन्द्र जन समुदाय की सम्पूर्ण वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है।

#### योजना की लागत,

इस व्यवसायिक केन्द्र को आर्कीटेक्चरल डिजाइन स्वयं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है तथा इसका निर्माण प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस योजना हेतु एक विस्तृत व्ययानुमान जो कि कवर्ड एरिया पर आधारित है, बनाया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।

प्रोजेक्ट कास्ट में निर्माण कार्य, जनरेटर, टेलीफोन कन्टीजेन्सी, विद्युतीकरण जल, मल व्यवस्था प्रोफेशनल फीस, विकास कार्य आदि शामिल है।

#### योजना की अर्थ विवेचना

योजना की अर्थ विवेचना का विवरण संलग्न है। इस अर्थ विवेचना के अनुसार कुल लागत ₹01490.86 लाख & विवरण स्टेटमेण्ट-11 में दिया हुआ है, आती है तथा योजना पर कुल आय ₹01741.32 लाख & विवरण स्टेटमेण्ट-111- में दिया हुआ है, आती है। इस प्रकार संभावित लाभ 16.79% आता है।

#### योजना का वित्त पोषण

यदि योजना ऐसे स्थान पर स्थिति है, जहाँ पर यह पूरी योजना स्व वित्त पोषित हो जायेगा, परन्तु फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ₹050.00 लाख के ऋण का प्राविधान योजना की लागत में किया गया है। प्राधिकरण द्वारा योजना अनुमोदित होने के पश्चात् दुकानों का पंजीकरण खोल दिया जायेगा, जिसमें दुकानों के विक्रय मूल्य का 10% पंजीकरण के समय तथा शेष धनराशि छः त्रैमासिक किस्तों में लिया जाना प्रस्तावित है।

STATEMENT -II SHOWING PROJECT COST

	Rs. in lacs
1. Construction Cost (as per annexure A)	978.00
2. Provision for deviation future contingencies & escalation @ 20%	195.60 <u>1173.60</u>
3. Administrative Charges @ 10%	117.36 <u>1290.96</u>
4. Maintenance charges @ 2%	25.81 <u>1316.77</u>
5. Interest @ 15% ( on Rs. 50 lacs from bank for 2 years )	15.00 <u>1331.77</u>
6. For new orphanage building with abutting land and 2.5 lacs per year payment to orphanage	40.00 <u>1371.77</u>
7. Cost of Land for ( 14.396 Smt. @ Rs. 77 Per Sft. )	119.09 <u>1490.86</u>

R.T.O. COMPLEX  
STATEMENT-I SHOWING AREA

1. Total Area of Scheme	14,396 Smt.
2. Detail of Saleable Area :	
i. Basement	3,268 Smt.
ii. Ground Floor	3,253 Smt.
iii. First Floor	2,566 Smt.
iv. Second Floor	3,400 Smt.
v. Third Floor	1,703 Smt.
vi. Open area on terrace Floor available for selling	3,160 Smt.

## STATEMENT- III SHOWING INCOME

Particulars	Area ( in Smt.)	Rate		Sale Price (Rs. in lacs)
		Per Smt.	Per Sft.	
BASEMENT (Shops)	3268	12000/-	1114.83	392.16
Ground Floor (Shops)	3253	13000/-	1207.74	422.89
Ist Floor ( Shops )	2566	11000/-	1021.93	282.26
IIInd Floor (Office )	3400	8000/-	743.22	272.00
IIIrd Floor (Office)	1703	7000/-	650.32	119.21
For open area on terrace floor (by Auction)	3160	8000/-	743.22	252.80
				<u>1741.32 Lacs</u>

STATEMENT IV SHOWING PROFITABILITY

	Rs. in lacs
1. Total Income	1741.32
2. Total expenditure	<u>1490.86</u>
3. Surplus	250.46

Percentage of Surplus :  $\frac{250.46 \times 100}{1490.86}$

= 16.79%

COMMERCIAL COMPLEX AT R.T.P. COMPOUND

ANNEXURE 'A'

LALOUCH ROAD, LUCKNOW

Page No: 20

Rates per Sq.M. of the covered Area for R.C.C. framed structures  
( As per D.S.R.- 1976 )

S.n.	Description	Unit	Rates			Remark
			Basement	Offices	Shopes	
1.	Basement floor, floor ht. 3.35 m (11'-0") with normal provision of water proofing treatment with bitumenous felt.	Sq.m.	Rs. 550.00	-	-	-
1.1	Extra for basement with					
a.	Mastic asphalt water proofing treatment ( 1.4.2 )	Sq.m.	Rs. 60.00	-	-	-
b.	Every 0.50 m. Extra height above normal ht. of 3.35 m(1.4.2)	Sq.m.	Rs. 134.00	-	-	-
c.	For extra height under heighrise tower ( 1.4.3 )	Sq.m.	Rs. 13.40	-	-	-
d.	Additional for Raft foundation ( 1. 2. 9 )	Sq.m.	Rs. 60.00	-	60.00	-
2.	R.C.C. framed structure Upto 6 storeys ( 1.1.1 )	Sq.m.	Rs. -	-	400.00	-
			Rs. 817.00	-	460.00	-

Sl.No.	Description	Unit	Rates			Remark
			1	2	3	
			Basement	Office	Shops	
2.1.	Extra for add. floor ht.	B.F.	817.00	-	460.00	
a.	Every 0.3 add.ht. of floor about normal floor ht(1.2.2)	Sqm.	-	-	17.00	
b.	Extra for terrace lift machine room and water tank @ 33% area (1.2.2)	Sqm.	-	426.15	-	
c.	Additional for resisting earth quake force (1.2.8)	Sqm.	-	34.00	34.00	
d.	Extra for pits foundation upto depth of 15m(1.2.10)	Sqm.	-	84.00	-	
e.	Additional due to stonger structural members due to heavy load (1.2.11)	Sqm.	-	-	26.00	
f.	Additional due to larger modules(1.2.12)	Sqm.	-	30.00	-	
g.	Additional for antitermite treatment on G.F. area(1.2.13)	Sqm.	9.00	-	-	
h.	Additional for fire fighting	Sqm.	25.00	25.00	25.00	
		Rs.	851.40	599.15	562.00	
i.	Extra due to price index increase i.e. 5 times as per record available (cost index is approximate 500 for Lucknow at present)		Rs. 4257.00	2995.75	2810.00	

COSTING OF THE R.T.O. COMMERCIAL  
COMPLEX AT LATOUCH ROAD

\*\*\*\*\*

	<u>Rupees</u>
1. Total covered area under shops of all floors including terrace floor but excluding Basement shopping cost of Rs. 3500x14,438	5,08,83,000.00 ✓
2. Total covered area of Office block on all floors- 2563 Q.m. cost @ Rs. 3715-- cost -- 3715 x 2563	95,21,545.00
3. Total covered area of Basement 5267 Sqm. Cost @ 5045 cost of const. 5045 x 5267	2,65,72,015.00
Total cost	8,69,76,560.00
4. Cost of site development Area- 14, 396 Sqm. @ 300- L.S.	43,18,800.00
5. Cost of sub station/Pump house etc. L.S.	20,00,000.00
6. Cost of lifts 4 Nos. @ 6,25,000 each	25,00,000.00
	9,57,95,360.00
Mis. Apenditure @ 2%	19,15,907.20
	9,77,11,267.00
Total :	9,77,11,267.00
Say Rs. :	9,78,00,000.00
	9.78 Crores.

विषय: प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर बहुखण्डी भावन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में ।

टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स स्कीम पुरानी लखानऊ इम्पूवमेन्ट द्वारा संचालित स्कीम है जो वर्तमान समय में लखानऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व एवं प्रबन्ध में है । इस योजना में भूखण्ड संख्या: 424 क्षेत्रफल बी0 1-12-1-17 का पट्टा वर्तमान समय में श्री रविन्द्र नाथ पुरी, श्रीमती सुधा पुरी, श्री सन्दीप पुरी, कु0 अंजली पुरी व कु0 रोहिना पुरी अक्षयस्क के नाम से चल रहा है । पट्टा दिनांक 1-9-81 से अन्तिम 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया है तथा पट्टे की अवधि दिनांक 31-8-2011 तक रहेगी । पट्टेदारों ने इस भूमि पर बहुमंजिले आवासीय भावन के निर्माण हेतु भावन चित्र स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया है । प्रश्नगत भूमि का पट्टा एक आवासीय भावन बनाने के लिये दिये जाने का उल्लेख मिलता है । प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत भावन चित्र बहुखण्डीय भावन कई फ्लैटों के सम में है अतः एक मकान की आवासीय पट्टेदार को इस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी जाये अथावा नहीं? इस बिन्दु पर नीति निर्धारण की आवश्यकता है ।

नजूल ज़मीन के पट्टेदारों के सम्बन्ध में शासन द्वारा वर्ष 87 में शासनादेश संख्या: 278/9 नजूल-87-485 एन/86 दिनांक 22-1-87 द्वारा यह नीति बनाई गई है कि नजूल भूमि पर बहुखण्डीय भावन निर्मित किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि पट्टे की अवधि 15 वर्ष से अधिक की शोषा हो और भावन निर्माण सम्बन्धी नियमों के अनुसार प्रस्तावित भावन का निर्माण अनुमन्य हो । इसी क्रम में शासन ने यह भी व्यवस्था दी है कि फ्लैटों की विक्रय की स्थिति में नजूल के वार्षिक किराये का अनुप्रतिक सम से बटवारा करके नजूल के किराये की वसूली की जाये । इस प्रकार नजूल भूमि के पट्टेदारों को 15 वर्ष से अधिक की पट्टा अवधि शोषा होने पर बहुखण्डीय भावन निर्माण की सुविधा शासन ने प्रदान की है । विकास प्राधिकरण की योजनाओं के भूखण्डों के पट्टेदारों को इस प्रकार के बहुखण्डीय भावनों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्या नीति अपनाई जाये इस पर विकास प्राधिकरण का नियम अपेक्षित है ।

विषय: किराये के भावनों की बिक्री के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24-9-87 को लिये गये निर्णय के अनुसार किराये पर रहे प्राधिकरण के किराये के भावनों के क्रय करने के ईच्छुक व्यक्तियों को उनके अनुरोध के आधार पर उन्हें बिक्रय पत्र भोजे गये थे । अब तक भावनों के बिक्रय के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :-

1:	भोजे गये बिक्रय पत्रों की संख्या:	175
2:	उन आवन्तियों की संख्या जिन्होंने धानराशि जमा कर दी है :	51
3:	कुल जमा धानराशि :	₹ 9.25 लाख

इसी बीच शासन का पत्र जो प्राधिकरण में दिनांक 22.2.88 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा शासन के अन्तिम निर्णय तक कोई भी भावन न बेचे जाने का आदेश प्राप्त हुआ है । जिन किरायेदारों द्वारा भावन क्रय करने हेतु 1/4 धानराशि जमा की जा चुकी है वे शेष धानराशि जमा करके रजिस्ट्री कराना चाहते हैं । प्राधिकरण द्वारा शासन के उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में कोई भी अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । इससे प्राधिकरण को वित्तीय क्षति भी हो रही है ।

अतः वर्णित परिस्थितियों में प्रस्ताव प्राधिकरण के आदेशाधीन प्रस्तुत है ।

विषय : स्टील अथार्टी आफ़ इन्डिया को पट्टे के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

स्टील अथार्टी आफ़ इन्डिया ब्रान्च आफ़िस, लखनऊ ने गोमती नगर योजना में स्टील स्टाकयार्ड हेतु भूमि लेने के लिये अनुरोध किया था । यह विषय वर्ष 1985 से चल रहा है ।

2. अन्तोगत्वा स्टील अथार्टी आफ़ इन्डिया ने 890 मी० × 90 मी० १/२ 80,100 वर्गमी० का एक भूखण्ड लेने हेतु अपनी सहमति दी । यह भूमि इनको रु० 100/- प्र० वर्गमी० पर दी गई है । इस दर में पहुँच मार्ग तथा एस० डब्लू० ड्रेन की ही लागत सम्मिलित है ।

3. उपरोक्त भूमि की कुल देय धारणा रु० 80.10 लाख का भूगतान स्टील अथार्टी आफ़ इन्डिया द्वारा दिनांक 30-3-88 को कर दिया गया है । उक्त अथार्टी ने अपने पत्र दिनांक 30-3-88 द्वारा सूचित किया है कि पट्टे के किराये में, जो आधा प्रतिशत की दर से भूमि के कुल प्रीमियम पर देय है, वह न लिया जाये क्योंकि उक्त अथार्टी केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, जो स्टील के विक्रय का कार्य करता है और इस स्टील का प्रयोग अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा ही किया जाता है । उन्होंने यह भी लिखा है कि लखनऊ से स्टील सप्लाई करने से निकट के नगरों को जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाये जा रहे हैं, स्टील की आपूर्ति करने में सुविधा मिलेगी । इस सम्बन्ध में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये सहयोग का भी उल्लेख किया है ।

4. उपरोक्त पत्र में वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्होंने टोकन लीज़रेंट लिये जाने हेतु अनुरोध किया है ।

#### प्रस्ताव

चूँकि स्टील अथार्टी आफ़ इन्डिया केन्द्रीय सरकार का ही एक उपक्रम है, तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में स्टील स्टाक यार्ड बन जाने से लखनऊ नगर के आस पास के नगरों में स्टील की आपूर्ति सुविधा पूर्वक हो सकेगी, साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी उन्होंने एक वर्ष की माँग पूर्व में प्रेषित किये जाने पर स्टील की आपूर्ति देने पर सहमति व्यक्त की है, अतः उक्त अथार्टी को दी गई भूमि के सम्बन्ध में टोकन लीज़रेंट रु० 1/- प्रति वर्ग लिये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

COPY OF THE LETTER NO:LRS/Genl-(4)/87-88/Mlhr/13310  
dated 30.3.88 OF SHRI P.N.BHATIA, BRANCH MANAGER,  
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, LUCKNOW ADDRESSED  
TO VICE CHAIRMAN, L.D.A.

Sub: Payment of Rs. 80.10 lakhs towards the cost of  
land for development of SAIL stockyard at  
Malhaur (NR), Lucknow.

.....

Dear Sir,

Please refer to our earlier correspondence and discussions with you and Cost-Accountant-Cum-Economic Planner concerning above.

As desired by you, we have pleasure in enclosing herewith our cheques as detailed below dtd. 30.3.88 for Rs.80.10 Lakhs drawn in favour of ' Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow'. The following points may please be noted:

- a. The revised size of the plot 89 Mx90 metre has been agreed to be made available to us (SAIL) by Cost-Accountant-Cum-Economic Planner vide his letter No: 650/CA/PA/88 dated 22.3.88 @ Rs. 100/- per Sq. metre;
- b. The 100 ft. wide approach road from the main Lucknow Faizabad road will be completed by L.D.A. within 6 months from 22.3.87.
- c. External storm water drains will be constructed by L.D.A.
- d. Compensation/exgratia, if any, are to be paid to the land losers by L.D.A. and in no way SAIL will be a party to it.
- e. The land is given to us (SAIL) on 90-years lease, basis. The necessary standard format for lease agreement for the registration of the land may please be made available to us so that the same is examined at our end;
- f) So far as the lease rent is concerned, it has been fixed @ 1/2% of the total amount. In this context, we would like to mention that ours is a Govt. of India Enterprise dealing with the marketing of all iron & steel materials from all the SAIL steel Plants, Our activities include coordination with railways and shipping lines, dovetailing requirements with supplies, efficient loading & unloading and onward despatch of iron & steel materials to the consumers & customers. As we have started our activities of supplies of iron & steel material from Amausi, Lucknow is fast developing and nearby districts like Amethi, Rae Bareli, Barabanki, Sultanpur and Bahraich, lot of new industries are being commissioned, we are going to serve the Govt. of U.P. and industries of Lucknow in particular and adjoining areas in general. We are confident that L.D.A. would charge only the token amount towards lease rent in view of our commitment for all round industrial development and growth of the area.
- g. During our discussions with Cost Accountant-Cum Economic Planner on 22.3.88, it was learnt that H.T. electric line is to pass through 100' ft wide road. If possible we would like to take the power from this line for our yard.

Kindly inform the date on which possession of the land will be given to us.

Thanking you,

विज्ञाप : उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास  
अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणा उपविधियों  
में संशोधन के सम्बन्ध में ।

=====

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-5 की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1987 के अनुसार उ०प्र०नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों निर्माणा उप-विधियों उपलब्ध कराई गई जो कि प्राधिकरण के सम्मुख आगे उल्लिखित प्रस्तावित संशोधनों सहित पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत है । प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार हैं :-

- 1- अध्याय-2 के मद संख्या-13४6४ में उल्लिखित भूखण्डों के विन्यास शीर्षक के अन्तर्गत भूखण्डों के आकार को विकास योजना जो द्वितीय पक्ति में 201 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक प्रस्तावित हैं उसे 201 वर्गमी० से 450 वर्गमी० तक रखा जाये । तथा उसके बाद की श्रेणी 500 वर्गमी० से अधिक के स्थान पर 450 वर्गमी० से ऊपर रखा जाये ।
- 2- अध्याय-3 में मद सं०:28 के अन्तर्गत टेबुल स०:4 में आवासीय भावनों के सेट बैक शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये चार्ट में संशोधन निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :-

भूखण्ड का आकार	सेट बैक			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व	
			1	2
200 वर्गमीटर तक	3.0	3.0	-	-
201 से 350 वर्गमी० तक	3.0	3.0	1.8	-
351 से 450 वर्गमी० तक	4.5	3.0	2.4	-
451 से 600 वर्गमी० तक	6.0	4.5	3.0	1.8
600 से ऊपर	6.0	6.0	3.0	3.0

इसके अतिरिक्त चार्ट के नीचे उल्लिखित कार्निर भावनों के सम्बन्ध में निम्न बढ़ाया जाना प्रस्तावित है :

" अन्य श्रेणी के भूखण्ड जो किसी भावन की पक्ति के कार्निर में स्थित हैं, में सड़क की तरफ का साइड सेट बैक 3.0 मी० से कम नहीं होगा "

3. इसी अध्याय के मद संख्या- 28४3४ के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्रों हेतु उल्लिखित नियम में निम्न बढ़ाया जाना प्रस्तावित है :-  
" 4.5 मी० की इस प्रस्तावित दूरी में सड़क के मध्य 3.0 मी० की दूरी एवं 1.5 मी० सामने का सेट बैक सम्मिलित माना जायेगा "
4. इसी अध्याय के मद संख्या- 29 में ग्राउन्ड कवरेज एवं स्फ०स०आर० हेतु प्रस्तावित चार्ट में निम्न प्रकार से संशोधन प्रस्तावित हैं:

क्रम सं०	उपयोग समूह	एफ०ए०आर०	विवरण	
			क्षेत्र का धानत्व	
			व्यक्ति/एकड़	व्यक्ति/एकड़
1-	आवासीय ४अ४ प्लॉट	1000 वर्गमी० तक	सेटबैक, उप-विधि संख्या: 28 के अनुसार होंगे। 2-1/2 तलों के टुकड़े क्षेत्र की अनुमति होगी।	
2-	व्यवसायिक	एफ०ए०आर०	भा-आच्छादन	क्षेत्रफल
		75	75%	स्थानीय/सुविधाजनक दुकानें, एक स्थान पर अधिकतम 10 दुकानें।
		100	40%	सेक्टरल शॉपिंग सेन्टर
		150	30%	नेबरहुड शॉपिंग सेन्टर
		250	25%	जोनल शॉपिंग या डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेन्टर
<u>स्कीम क्षेत्रों के अतिरिक्त</u>				
		100	40	1000 वर्गमी० तक भा-आच्छादन पर
		150	30	1000 से 2000 वर्गमी० तक
		250	25	2000 वर्गमी० से अधिक

5. इसी अध्याय के क्लद संख्या-30 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग शीट्स हेतु क्रम संख्या: 3 में प्रस्तावित न्यूनतम 1500 वर्गमी० क्षेत्रफल को 1000 वर्गमी० रखा जाये तथा इसी शीट्स के अन्तर्गत क्रम संख्या-4 में प्रस्तावित भा-आच्छादन को 35% के स्थान पर 30% रखा जाये तथा एफ०ए०आर० 150 के स्थान पर 200 रखा जाये।
6. इसी अध्याय के मद सं०: 32४जी४ के अन्तर्गत प्रस्तावित वेसमेन्ट ४भा-गेह४ हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये भा-गेह४वेसमेन्ट४ का आच्छादन 1/3 भा-आच्छादन के स्थान पर 1/2 भा-आच्छादन के बराबर रखा जाये तथा एफ०ए०आर० में गणना न होने वाले आइटमों में पार्किंग को भी सम्मिलित किया जाये।

विज्ञाप: लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद को पुनः सृजित करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 3 फरवरी, 1988 की बैठक में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद सृजित करने के विज्ञाप में कार्य वृद्धि तथा प्रगति सम्बन्धी मांगी गई आख्या निम्न प्रकार है :

विकास प्राधिकरण के जन सम्पर्क विभाग में कार्य को सम्पादित करने हेतु पांच कर्मचारी कार्यरत हैं- एक टैकणा लिपिक, दो लिपिक तथा दो अनुचर सेवारत हैं । जन सम्पर्क विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं : प्रचार कार्य, समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कार्य, समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं भुगतान कार्य, शासन व कार्यालय की बैठकों का कार्य, जन सामान्य से जन सम्पर्क का कार्य, शासन के पत्रों के उत्तर का कार्य, कार्यालय में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं नियन्त्रण का कार्य, छोल एवं कर्मचारी कल्याण कार्य, समस्त आडिट आपत्तियों के निराकरण का कार्य । बड़े भूखण्डों आदि की नीलामी की जाती है उनके लिये यदि नीलामकर्ता से कराया जाये तो कम से कम 2% का भुगतान नीलाम कर्ता को दिया जाता है परन्तु उनको जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा आरम्भ से ही नीलाम किया जा रहा है । अन्य विकास प्राधिकरणों में भी भूखण्डों की नीलामी हेतु बुलाये जाने पर जन सम्पर्क अधिकारी को ही समय-समय पर उनकी सहायता के लिये जाना पड़ता है । जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से आय वृद्धि के लिये कार्य किया गया है जिसमें विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानों पर विज्ञापन पट्टों की नीलामी आदि कराकर लाखों रुपये की धनराशि विकास प्राधिकरण को अर्जित कराई गई है । भाविष्य में और वृद्धि होने की सम्भावना है इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण द्वारा माह फरवरी, 1988 से जनता की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु योजनावार सप्ताह में शिकायतों के निस्तारण में जन सम्पर्क विभाग विभिन्न विभागों और जनता के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है । जन सम्पर्क कार्यालय शिकायतकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सूचनाये देकर उन्हें सहायता प्रदान करता है । इस प्रकार जन सम्पर्क कार्यालय पर कार्य भार बढ़ गया । एक उत्तरदायी प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन किया जाये क्योंकि पूरा कार्य संचालन मात्र एक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पादित नहीं हो पा रहा है ।

पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजन किया गया था जिसपर लगभग 5 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात श्री एम0 वासिल को शासनादेशानुसार जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर दिया गया तथा शासन ने

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया था, जिसे पुनर्जीवित करने के लिये इस कार्यालय के पत्र संख्या: 647/सा090 दिनांक 8-9-87 द्वारा पुनः स्वीकृत करने के लिये अनुरोध किया गया था जिसके उत्तर में शासन ने प्राधिकरण की स्वीकृति की अपेक्षा की है।

अतः एक सहायक जन सम्पर्क अधिकारी की सेवा की अति आवश्यकता को देखाते हुए प्राधिकरण के कार्य कलापों के उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए तथा जन साधारण की असुविधाओं को दूर करने हेतु जन सम्पर्क अधिकारी की सहायता के लिये सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का पद वेतनमान रु0 420-735 में सृजित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विज्ञाप: चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुखण्डीय भावनों के सम्बन्ध में ।

लखनऊ शहर के चौक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि नीलाम में प्राइवेट विल्डर्स को आवन्तित की गई थी । उक्त भूमि पर निर्माणाधीन भावनों की ऊँचाई तथा उससे सम्बन्धित कुछ मामलों में इनटैक § INTACH § द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि इन भावनों से उक्त क्षेत्र की स्काई लाइन प्रभावित होगी । प्राधिकरण की गत बैठक में इस सम्बन्ध में एक उप समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य इन समस्त मामलों के बारे में आख्या देना था । निर्माणाधीन भावनों में कार्य तत्काल प्रभाव से रूकवा दिया गया है ।

वर्तमान परिस्थितियों में अनुरोध है कि उक्त उप समिति में इनटैक के प्रतिनिधि को भी नामित करने की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाये । आगामी बैठक में उक्त पुर्नगठित समिति स्थल का निरीक्षण इनटैक के प्रतिनिधि के साथ कर समस्त विन्दुओं पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी ।

प्राधिकरण के सुगम सूचनाार्थि प्रस्तुत है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध विचारार्थ आख्या

विषय:- अपर इंडिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सारांश:-

पेपर मिल कालोनी के समीप नजूल की लगभग 72 बीघे भूमि अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को नजूल विभाग द्वारा वर्ष 1942 में 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गयी थी जिसका नवीनीकरण प्रत्येक 30 वर्ष बाद 50% लीजरेन्ट में वृद्धि के साथ किया जाता था। वर्ष 1959 में तत्कालीन टाऊन इन्फ्रूमेंट ऐक्ट की धारा 36 के अन्तर्गत "जनरल इन्फ्रूमेंट एन्ड हाउसिंग इकीम विहाइंड पेपर मिल आउट्रूम रोड" नामक योजना बनायी गयी थी जिसमें अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को कुछ भूमि भी सम्मिलित थी। परन्तु अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा वर्ष 1974 से लगातार न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये और अंततः सिविल जज मलीहाबाद के न्यायालय में दायर मुकदमा संख्या 291/83 लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध निर्णीत हुआ। निर्णय के अनुसार अपर इंडिया कूपर पेपर मिल की भूमि धारा 36 के अन्तर्गत जारी विकल्पितियों में सम्मिलित नहीं मानी जायेगी और इस प्रकार उपरोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना संभव न हो सका। इस निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी गयी है जो विचाराधीन है।

अदालती कार्यवाही से भूमि को प्राप्त करने में काफी समय लग सकता था। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः भूमि को भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। शासन ने विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुये भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत विकल्पितियां क्रमांक 25.886 व 7.9.86 को जारी कर दी गयी परन्तु इससे पूर्व कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाता पुनः अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर इस विकल्पितियों के विरुद्ध भी स्थगन आदेश प्राप्त कर दिया। फलस्वरूप भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को पुनः प्रयास करने के बाद भी प्राप्त न हो सका।

इसी बीच वर्ष 1980 में अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा उपरोक्त भूमि पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु एक योजना तैयार कर मानचित्र स्वीकृत हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा आवासीय भवनों के निर्माण की योजना इस लिए तैयार की गयी थी कि यू० पी० फाइनेंसियल कारपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बकाया धनराशि की बसूली हेतु मुकदमा दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अपर इंडिया कूपर पेपर मिल उक्त भूमि पर आवासीय भवनों का निर्माण करें तथा उसे बेचकर जो धनराशि प्राप्त हो उसे यू० पी० फाइनेंसियल कारपोरेशन की बकाया धनराशि अदा की जाय। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त मानचित्र स्वीकृत न किया गया क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं इस भूमि पर योजना चलाई जानी थी। इसके विरुद्ध भी अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा याचिका दायर की गयी जो विचाराधीन है।

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल ने प्रार्थना पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत जिसमें कहा गया कि चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस भूमि पर आवासीय योजना चलाना चाहता है और अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा भी इस भूमि पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की गयी है। अतः अदालती कार्यवाही को और न बढ़ा कर आपसी सम्झौता कर अपर इंडिया कूपर पेपर मिल की योजना को भी स्वीकृत कर दिया जाय चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं विकास एवं निर्माण करने के अतिरिक्त प्राइवेट वर्ल्ड को भी विकास एवं निर्माण हेतु अवसर दे रहा है अतः अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को निर्माण हेतु अनुमति दी जाय। इस सम्झौते हेतु कुछ शर्तें अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा प्रस्तुत की गयी जो निम्न प्रकार है:-

1. जब लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी भूमि प्राइवेट बिजनेस को आवासीय योजना हेतु दे रहा है तो हमें भी अपनी भूमि पर आवासीय योजना चलाने हेतु आर. वी. ओ. ए. के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए ।
2. हमारी न्यूल भूमि का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु किया गया और हमने अर्जन की कार्यवाही होने के पूर्व ही आवासीय योजना हेतु ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मानचित्र प्रस्तुत किया है ।
3. विगत 30 वर्षों से चल रहे मुकदमें को समाप्त करने तथा दोनों तरफ से पैसे की बरबादी को रोकने के लिए क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन के विरुद्ध स्थगन आदेश चल रहा है ।
4. शहर का विकास करने के लिए तथा स्थितिगत कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए
5. हमारी भूमि का प्रयोग आवासीय है क्योंकि इस भूमि पर विगत 100 वर्षों से स्टाफ एवं अधिकारियों के आवास बने हुए हैं ।
6. वर्ष 1942 में हमारी पट्टा पुनः 90 वर्षों हेतु नवीनीकरण हो चुका है ।
7. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15. 10. 87 में लिए गये निर्णय हमें मान्य नहीं है ।
8. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3. 2. 88 में दिये गये निर्णय हमें मान्य नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को कूटगत रखते हुए हमें भी अन्य की भांति ही विकास हेतु अवसर दिया जाए ताकि शीघ्र ही अदालती कार्यवाही समाप्त की जा सके । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय हमें मान्य नहीं हैं ।

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल ने पुनः अपने पत्र दिनांक 18. 3. 86 द्वारा जो कि पूर्व पत्र के तारतम्य में दिया गया, निम्न तथ्य प्रस्तुत किये

लगातार दूसरी बार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तथ्यों से विपरीत निर्णय दिया गया क्योंकि हम लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण से उनके द्वारा अर्जित की गयी भूमि को विकास हेतु लेने के लिए नहीं प्रस्तुत अपनी भूमि को कुछ शर्तों पर जो कि हमने लिखी थी, विकसित करने की स्वीकृति चाहते हैं जिस भूमि को न तो लखनऊ विकास प्राधिकरण और न ही शासन ने अर्जित किया है केवल धारा 4 व 6 के अन्तर्गत शासन ने विकल्पित्यां जारी की है और जिसके विरुद्ध हमने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर दिया है और मुकदमा विचाराधीन है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में बिजनेसविभाग को विगत 8 वर्षों से मेरे मानचित्र को स्वीकृति देने के आदेश प्रदान करने का कूट करें ।

उपरोक्त दोनों पत्रों से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठकों में जो भी निर्णय लिये गये वे अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को मान्य नहीं हैं । यह भी सत्य है कि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व ही स्थगन आदेश होने के कारण भूमि का कब्जा प्राप्त न किया जा सका केवल विकल्पित्यां ही जारी हो सकी है । यह भी विचाराधीन है कि अपर इंडिया पेपर मिल द्वारा जो आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत की गयी है वह यू.पी.0 फाइनेन्सियल कारपोरेशन निर्देशानुसार ही की गयी है । अभी तक भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं प्राप्त हो पाया है अतः भूमि आर्बिटन का प्रश्न नहीं उठता है । अपर इंडिया कूपर पेपर मिल प्राइवेट बिजनेस के रूप में भूमि पर विकास एवं निर्माण करना चाहते हैं ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यू.पी.0 फाइनेन्सियल कारपोरेशन को बेकाया धनराशि अदा कर सकें । यह भी उल्लेखनीय है कि जब कि भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का स्वामित्व नहीं हो जाता है भूमि आर्बिटन अथवा स्वयं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उस पर विकास एवं निर्माण संभव न हो सकेगा । विगत 30 वर्षों से लगातार प्रयास के उपरान्त भी आज तक भूमि पर लखनऊ विकास

प्राधिकरण का स्वामित्व न हो सका ।

• अपर इंडिया क्यूमर पेपर मिल द्वारा पुनः अपने पत्र आज दिनांक 8.4.88 द्वारा उल्लेख किया है कि,

• हमने अपनी भूमि को विकसित करने की अनुमति आर. बी. ओ. ऐक्ट के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था कि लीज डीड के नवीनीकरण भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में पुनः 50% हमारी भूमि को विकास हेतु देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि हमारी भूमि आज तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं पेपर मिल विगत 30 वर्षों से अदालती कार्यवाही में लगी है इसे आदालती कार्यवाही को समाप्त करने हेतु ही हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

शासनादेश संख्या 4480./37-2-86 दिनांक 17.10.86 के अनुसार शहर के विकास हेतु कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और तदनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण हमारे मानचित्र जो वर्ष 1980 में प्रस्तुत किया गया स्वीकृत करने को बाध्य है । यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण हमारे मानचित्र स्वीकृत कर देता है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.10.80 व 22.10.80 तथा शासनादेश की पूर्ति हो जायेगी ।

उपरोक्त परिस्थितियों में हमसे भी अन्य भांति व्यवहार करते हुये आर. बी. ओ. ऐक्ट व तय किये गये शर्तों के अनुसार हमारा मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाय तथा जो विज्ञापितया जारी की गयी है उन्हें निरस्त कर दिया जाय ताकि सदा के लिए मुकदमें बाजी समाप्त हो सकें तदनुसार सुल्हनामा अदालत में में दाखिल किया जा सके

अपर इंडिया क्यूमर पेपर मिल द्वारा जो शासनादेश संख्या 4480/37-2-86 दिनांक 27.10.86 का उल्लेख किया गया है उसके प्रस्तर 2 में निम्न अंकित है:

"इसी प्रकार प्राइवेट बिल्डिंग या कावोनाइजर्स, यदि किसी भूमि के विषय में आउट प्लान बनाकर विकसित करने के लिये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लेते हैं और इस ले आउट प्लान को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु फाइल करते हैं तो सामान्यता उस भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया जायेगा । यहां भी मापदंड यहाँ होगा कि अधिग्रहण का प्रस्ताव अनुमोदित होने के पूर्व ले-आउट प्लान बनाकर उसे कावोनाइजर्स ने विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हो तो इस सम्बन्ध में भी सहकारितियों के लिए जो शर्तें प्रस्तावित की गयी है, वही लागू की जायेगी" ।

प्रस्तर 3 में निम्न उल्लिखित है

• जहांपर प्राइवेट कावोनाइजर्स विकास कर सकते हैं । प्राधिकरण हस्तक्षेप सामान्यतः न करें किन्तु प्राधिकरण यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि उन समितियों का ले आउट या उन कावोनाइजर्स द्वारा प्रस्तावित विकास की रूपरेखा उस क्षेत्र के बाकी हिस्से अपनाये जा रहें ले आउट प्लान तथा जो नये प्लान के अनुस्यू है और यह सहायी समितियां कावोनाइजर्स उस क्षेत्र का सुमुचित रीति से विकास करें । इस हेतु उन पर पर्याप्त निगरानी रखी जाय और इस हेतु उनसे पर्याप्त जमानत की जाय" ।

अपर इंडिया क्यूमर पेपर मिल की जो भूमि टाउन झेमेंट एक्ट के अधीन अर्जित की गयी थी उसके विकास के दायर मुकदमें में लखनऊ विकास प्राधिकरण हार चुका तथा उसकी अपील उच्च न्यायालय में लम्बित है । जो पुनः भूमि की विज्ञापितया 3 की गयी वे वर्ष 1986 में जारी की गयी । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने हेतु प्रस्ताव शासन को 29.4.86 को प्रस्तुत किया गया था तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में दिनांक 15.5.86 अर्जन की स्वीकृति प्रदान कर बयी । अपर इंडिया क्यूमर पेपर मिल द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.80 22.10.80 के अनुमालन में दिनांक 22.12.80 को ले आउट प्लान लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है । अतः यदि अपर इंडिया क्यूमर पेपर मिल

1. चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना के लिए विकल्पित्यां जारी करायी गयीं और हमारे द्वारा वर्ष 1980 में पट्टे की नज़ूल भूमि के विकास हेतु जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है वह भी आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ही है इसलिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु नज़ूल भूमि को विकसित करने की अनुमति इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों, प्लान एरिया रेशियो तथा नियम कानून के अन्तर्गत दी जाय ।
  2. आंतरिक विकास हम करेंगे इस हेतु 25% गारंटी देने के लिए तैयार है ।
  3. बाह्य विकास में सीवरेज स्व वाटर सप्लाई हेतु जल संस्थान/नगर महापालिका से व्यवस्था करेंगे ।
  4. विद्युत सप्लाई हेतु लिसू से व्यवस्था करेंगे ।
  5. रोड को चौड़ा करने में जो प्रॉपर्टी चार्ज होगा हम देने को तैयार है ।
  6. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नज़ूल भूमि को डीनोरीफाई करने हेतु अनुमति देगा ।
- अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा दिये गये इस प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19. 10. 87 में प्रस्तुत किया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए भूखण्ड एवं आवासीय इकाइयों की अल्पता के आधार पर प्रतिबन्ध लगाकर भू-उपयोग परिवर्तन कर पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासन की संस्तुति की जाय । अवैध भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कर विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना बनाय । उपरोक्त निर्णय के अनुसार पट्टे का नवीनीकरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी थी। अपर इंडिया कूपर पेपर मिल ने अपने पत्र दिनांक 3. 12. 87 द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्ष 1942 में 90 वर्षों हेतु पट्टे पर दी गयी नज़ूल भूमि का नवीनीकरण 30 वर्ष बाद अर्थात् 1972 में 50% लीजरेन्ट वृद्धि के साथ किया जा चुका है । तथा बढ़ी हुयी दर से लीजरेन्ट का भुगतान भी वर्ष 1972 से लगातार किया जा रहा है । यह भी उल्लेख किया है कि मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय है । अपर पेपर मिल द्वारा भी उक्त भूमि का प्रयोग आवासीय प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है तथा किया जाना प्रस्तावित भी है । नज़ूल विभाग द्वारा जारी अपरिचित प्रमाण पत्र के अनुसार सम्पूर्ण नज़ूल की पट्टे पर दी गयी भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं बिजनेस प्रयोजन हेतु है । अतः भू-उपयोग परिवर्तन का प्रश्न खड़ी उठता है ।

माननीय सदस्यों को कदाचित लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19. 10. 87 में पट्टे के नवीनीकरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी अतः जो निर्णय दिया गया था उसके अनुसार कार्यवाही संभव नहीं हो सकी । उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 21. 12. 87 द्वारा पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ विषय प्रस्तुत करते हुये निर्देश दिया तथा यह भी निर्देश दिया कि अधिकतम विकास प्राधिकरण यह कर सकता है कि प्राइवेट बिजनेस की भाँति यह भूमि पुनः लीज होल्डर को आर्बिट्ररी कर दें ।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पुनः विचारार्थ विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3. 2. 88 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न निर्णय दिया गया ।

विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय दिया गया कि निगोशिएशन के उपरान्त यदि भू-अपर इंडिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड अधिग्रहीत भूमि की अधीन जमीन पर स्वयं विकास एवं निर्माण कार्य करने को इच्छुक हो तथा अवैध अधीन जमीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कराना चाहें तो इस सम्बन्ध में उनके अनुबन्ध कराया जाय और तदनुसार आगामी बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत हेतु रखा जाय ।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार सर्वेक्षण सहमति प्राप्त करने हेतु अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को विभागीय पत्र संख्या एल. डी. ए. / ए. टी. / 96 दिनांक 16. 3. 88 भेजा गया । जिसमें उत्तर में अपर इंडिया कूपर पेपर मिल ने अपने पत्र दिनांक 17. 3. 88 में निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये :-

को प्राइवेट बिजनेस / कापोनाइजर्स के रूप में रख कर देखा जाय तो भूमि अध्याप्त  
अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण का प्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व ले आउट लखनऊ विकास  
प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा जो अनुरोध अपने पत्रों द्वारा किए है वे  
मुख्यतया निम्न प्रकार है:-

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित नहीं की गयी क्योंकि केवल  
विज्ञापितियां जारी की गयी है शेष अर्ज नीय कार्यवाही स्थगन आदेश के कारण  
नहीं की जा सकी अतः अपर इंडिया कूपर पेपर मिल को उनकी भूमि पर ही  
उनके द्वारा प्रस्तुत योजना की स्वीकृति प्रदान की जाय । भूमि लखनऊ विकास  
प्राधिकरण द्वारा अर्जित न होने के कारण आबंटन का प्रश्न नहीं है ।
2. शासनादेश के अनुसार यदि ~~स्वीकृति~~ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के पूर्व से ले  
आउट प्लान प्राइवेट बिजनेस / कापोनाइजर्स द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है  
हो तो उसे अधिग्रहात न किया ~~शासन द्वारा~~
3. जो विज्ञापितियां जारी कर बयी है उन्हें निरस्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ  
विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को संस्तुति की जाय ।
4. अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशा-  
नुसार ही आवासीय योजना स्वीकृति हेतु ले आउट लखनऊ विकास प्राधिकरण  
में प्रस्तुत किया है ।
5. पेपर मिल द्वारा जो शर्तें दी गयी है उनके अनुसार ले आउट प्लान स्वीकृत कर  
दिया जाय तथा तदनुसार न्यायालय में सुलह नामा दाखिल कर दिया जाय ।  
अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दि०  
3. 2. 88 में लिए गये निर्णय के उपरान्त जो प्रस्ताव/अनुरोध/तथ्य अपने पत्रों  
द्वारा प्रस्तुत किया है वे समस्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत  
है ।

डा. नानेन्द्र वर्मा  
संचालक भूमि-अर्जन

दिवाकर त्रिपाठी  
सचिव

श्रीमती कुमारी  
उपाध्यक्ष

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
9 अप्रैल, 1988 का कार्यवृत्त  
=====

उपस्थिति:

1. श्री बृजेश कुमार अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
2. श्री शौलेश कृष्ण उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
3. श्री शंकर अग्रवाल संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास,
4. श्री जे०पी०भार्गव मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
5. श्री आर०एम०निगम मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,
6. श्रीमती उमा त्रिपाठी सदस्या, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
7. श्री एम०ए०एम०खान विशेष आम्न्त्री, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ।

अन्य उपस्थिति:

- श्री दिवाकर त्रिपाठी सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : विचारोपरान्त अनुपालन आख्या का अवलोकन करके निर्देश दिया गया कि गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की वे अनुपालन आख्याएँ जिनका अनुपालन अभी तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित न किया जा सका हो अर्थात् जिनकी अपूर्ण अनुपालन आख्याएँ पूर्व बैठकों में प्रस्तुत की गई हों, इस प्रकार के निर्णयों की अनुपालन आख्याएँ आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जाया करें।

क्रमशः-----

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-  
व्ययक 1988-89

निर्णय :

विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात्  
निम्नांकित संशोधनों के साथ लखनऊ  
विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक बजट  
वर्ष 1988-89 स्वीकृत किया गया :

भूमि अर्जन हेतु

	<u>प्रस्तावित</u>	<u>संशोधित</u>
1. शताब्दीय ऋण	18.80	20.00
2. संस्थागत ऋण	12.80	14.00

यह भी निर्देश दिया गया कि :

1. आगामी बैठक में नगर की विकास की मुख्य दिशा निश्चित करने हेतु एक दीर्घकालीन प्लान प्रस्तुत किया जाये ।
2. आगामी 5 वर्षों के लिये एक उससे विस्तृत प्लान प्रस्तुत किया जावे ।
3. यह प्रयास किया जाये कि आगामी तीन वर्षों में प्रतिकर का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाये और इस हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की जाये ।

श्री भार्गव ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का बजट इस वर्ष बड़े ही सावधानी से विस्तृत विवरण के साथ रखा गया है जिसमें प्रत्येक योजना का विवरण उपलब्ध है । जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास से यह बजट तैयार किया गया है वे प्रशंसा के पात्र हैं ।

विषय संख्या: 4

गोमती नगर योजना में पत्रकारों के लिये  
निर्माणार्थी भावनों के सम्बन्ध में सेन्टेज  
चार्ज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

कुमशा: ———

विज्ञाप संख्या: 5

गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा -  
मेमोरियल के डिज़ाइन हेतु वास्तुविद के  
चयन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया  
कि क्योंकि पहले की प्रतियोगिता में चयन  
समिति ने किसी को भी प्रथम स्थान के  
लिये उपयुक्त नहीं पाया था, अतः डिज़ाइन  
चुनने के लिये पुनः प्रतियोगिता की जावे ।  
इस हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति  
गठित की गई जो नई प्रतियोगिता आयोजित  
करके डिज़ाइन का चयन करेगी :

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास  
एवं नगर विकास,
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
4. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
5. श्री रहमान,
6. श्री एम०ए०एम०खान, विशेष आमन्त्री
7. श्री एम०ए०त्यागी, मुख्य नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
8. नाम प्रस्तावित किया जाना है ।

विज्ञाप संख्या: 6

आर०टी०ओ०काम्पलेक्स के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विज्ञाप स्थागित किया गया और निर्देश  
दिया गया कि मेसर्स रेखा राजीव को पुनः  
पत्र भेज दिया जाये कि शीघ्र जवाब दें ।

विज्ञाप संख्या: 7

प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय  
झूखण्डों पर बहुखण्डीय भावन निर्माण  
की अनुमति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि  
इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि प्रायः छानी आवादी  
में है । मास्टर प्लान रिवाइज़ किया जा रहा  
है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रकरण का कोई  
नीति सम्बन्धी निर्णय लेना उचित नहीं है ।  
यदि इनडिवीजुअल मामले में जहाँ एरिया ओपन  
हो और सड़कें आदि चौड़ी हों उनपर विचार  
किया जा सकता है ।

क्रमशः—

- विज्ञाप संख्या: 8 किराये के भावनों की बिक्री के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि शासन के आदेशों के पूर्व जिन आवन्तियों ने धानराशियाँ जमा कर दी हैं उन्हें भावन बिक्रय कर दिये जायें ।
- विज्ञाप संख्या: 9 स्टील अथाहर्ती को दी गई भूमि के सम्बन्ध में पट्टे के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 10 विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण उपविधियों में संशोधन के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नांकित सदस्यों की एक उपसमिति गठित की जाती है जो दिनांक 14-4-88 के 12.00 बजे अध्यक्ष के कक्षा में एक बैठक करेगी और अनुमोदन करके औपचारिक स्वीकृति हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में विज्ञाप पुनः रखा जाये :-  
1- अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
2- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
3- मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,  
4- मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- विज्ञाप संख्या: 11 सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 12 चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुखण्डीय भावनों के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि श्री एम0ए0एम0खान को भी उपसमिति की सदस्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाये और समस्या के निवारण हेतु दिनांक 14-4-88 को उपसमिति की बैठक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कक्षा में कर ली जाये ।

विषय संख्या: 13

अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले में पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए एक पत्र शासन को अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल के दोनों पत्रों को संलग्न करके भेज दिया जाये तथा शासन से अनुरोध किया जाये कि इस मामले में शासन स्तर पर ही निर्णय लेकर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाये ।

ह0/-  
श्रीलेशा कृष्णा  
॥ श्रीलेशा कृष्णा ॥  
उपाध्यक्षा

ह0/-  
दिवाकर त्रिपाठी  
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥  
सचिव

अ नु मो दि त

ह0/-  
वृजेश कुमार  
॥ वृजेश कुमार ॥  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।